बाराबंकी पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

थाना- मसौली

दिनांक- 23.10.2024

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा गैरइरादतन हत्या की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 16,000-16,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए **“Operation Conviction”** कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में **थाना मसौली** पर **गैरइरादतन हत्या** के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0- **258/2012** धारा **304/323/325/504 भादवि** से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1-संतोष कुमार पुत्र रामकिशुन 2.विजय कुमार पुत्र रामकिशुन निवासीगण छोटी किन्हौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी** को उपरोक्त धाराओं में **मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं- 01 बाराबंकी** द्वारा दोषसिद्ध करते हुए **10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 16,000-16,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। ***उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।***

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.11.2012 को थाना मसौली पर वादिनी किरन देवी पुत्री मैकूलाल निवासी छोटी किन्हौली थाना मसौली बाराबंकी ने अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी की माँ को मारने पीटने के दौरान मत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी, उक्त सूचना के आधार पर थाना मसौली पर मु0अ0सं0-**258/2012** धारा **304/323/325/504 भादवि बनाम 1-संतोष कुमार पुत्र रामकिशुन, 2.विजय कुमार पुत्र रामकिशुन निवासीगण छोटी किन्हौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी** पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक श्री उ0नि0 हनुमान प्रसाद पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1- श्री रामजस सिंह अभियोजक अधिकारी ए0एस0जे0 कोर्ट नं- 01 जनपद बाराबंकी

2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

4-म0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

5-का0 आदर्श कुमार मिश्रा, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

6- म0का0 सपना पैरोकार मसौली जनपद बाराबंकी

7-कोर्ट मो0 म0का0 मेघा पांडेय कोर्ट नं- 01 जनपद बाराबंकी